फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– हणुतराम पुत्र लाबूराम –:बनाम:– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :– 211 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.23		

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प देवरिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– लुम्बड़ावास में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 24 एवं ग्राम देवरीया में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 120 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम हनवन्तराम, हनवन्त पुत्र लाबुराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में हणुतराम पुत्र लाबुराम है, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम हनवन्तराम, हनवन्त पुत्र लाबुराम के स्थान पर हणुतराम पुत्र लाबुराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रशासन गांवो के संग अभियान कावलियाकलां में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– लुम्बड़ावास में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 24 एवं ग्राम देवरीया में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 120 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम हनवन्तराम, हनवन्त पुत्र लाबुराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में हणुतराम पुत्र लाबुराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम हनवन्तराम, हनवन्त पुत्र लाबुराम के स्थान पर हणुतराम पुत्र लाबुराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– लुम्बड़ावास में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 24 एवं ग्राम देवरीया में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 120 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि हनवन्तराम, हनवन्त पुत्र लाबुराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक “ [illegible] पुत्र लाबुराम ” दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इस अनुसार भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, [illegible] प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO
(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:24:38 IST
Reason: SelfAttested